

।। श्री ।।



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य-प्रदेश ग्रामियर

१३

प्रकरण क्रमांक:- 103 अप्रैल

A. 1086 - III / 2003

जवरा भील मृत वारिस



1:- रुग्माथ — पुत्रगम जवराजी जाति भील
2:- नरसिंग निवासी ग्राम गुप्तावद तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
----- अप्रैलांट्स

विलद

मध्य प्रदेश ग्रामियर द्वारा पटवारी ग्राम गुप्तावद
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन म.प्र. — स्पष्टांट

अप्रैल धारा 44 मध्य प्रदेश ग्रामियर के अन्तर्गत ।
प्रकरण क्रं 201/01-02 अप्रैल में न्यायालय आयुक्त
उज्जैन संभाग के प्रदत्त आदेश से क्षुद्र होकर ।
आदेश दिनांक 30.4.02

क्रमांक R.D. 21
राजस्व द्वारा प्राप्त
दिनांक 17-7-03
वलाक ओर्डर द्वारा
न्यायालय मण्डल ग्रामियर

मान्यवर महोदय,

अप्रैलांट्स की ओर से निम्न लिखित अप्रैल प्रस्तुत है :-

०- :::: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::::

यह कि ग्राम गुप्तावद तहसील बड़नगर जिला उज्जैन में अप्रैलांट के पित
जवराजी द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 642 रक्षा 4.86
का विनियम ग्रामीय भूमि सर्वे नंबर 690 रक्षा 1.129 हेठले एवं सर्वे नंबर 65
रक्षा 5.874 हेठले रक्षा 7.003 हेठले से रक्षा 4.87 जिनके बन्दोबस्त
सर्वे नंबर 723, 724 हैं से करने हेतु अधिनियम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए
था और अधिनियम न्यायालय द्वारा तहसीलदार बड़नगर के जाँच प्रतिवेदन एवं
तहसीलदार एवं अनुचिभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र नस्तिबद्ध करने की
अनुसंधा एवं विनियम ग्रामियर हित में नहीं होने से दिनांक 10.3.98 को अप्रैल
के पिता का आवेदन पत्र निरस्त किया जिससे असंतुष्ट होकर अप्रैलांट ने कहि

A 1086-III/03 ३३५

१३/II

20-1-17

उन्होंने किया

No ८ Pre^s

आवेदक आधिकारिक श्री एन. रवान
उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे
नहीं-पलाये जाने के कारण नोट्सेस में
समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।
निवेदन (वीकार)। प्रकरण आवेदक पक्ष
द्वारा नहीं-पलाये जाने के कारण नोट्सेस
में समाप्त किया जाता है।

✓

02
अद्यता